न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 06 / 2024

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. खेमराज पुरोहित पुत्र कानाराम पुरोहित जाति पुरोहित निवासी तातड़ा तहसील व जिला सांचोर

1. रामसिंह पुत्र माधूसिंह
2. हड़मतसिंह पुत्र पहाड़सिंह जातियान राजपूत निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक–22-2-24

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 32 / 16 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 32 / 17 रकबा 0.1618 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 32 / 18 रकबा 0.3236 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 32 / 12 से वक्त विभाजन प्रार्थी के नवीन खसरा संख्या 32 / 16, 32 / 17, 32 / 18 कायम हुए तथा इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 32 / 12 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई, उक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल से विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की खातेदारी भूमि में कर दी है जब कि भौतिक रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी के खेत की पक्की तारबन्दी के अनुसार है तथा प्रार्थी के उक्त खसरान एक साथ जुड़ते हुए आये हुए है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 32/16 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 32/17 रकबा 0.1618 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 32/18 रकबा 0.3236 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 32/12 से वक्त विभाजन प्रार्थी के नवीन खसरा संख्या 32/16, 32/17, 32/18 कायम हुए तथा इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 32/12 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई, उक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल से विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की खातेदारी भूमि में कर दी है जब कि भौतिक रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी के खेत की पक्की तारबन्दी के अनुसार है तथा प्रार्थी के उक्त खसरान एक साथ जुड़ते हुए आये हुए है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 32/16 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 32/17 रकबा 0.1618 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 32/18 रकबा 0.3236 हैक्टेयर अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 32/12 से वक्त विभाजन प्रार्थी के नवीन खसरा संख्या 32/16, 32/17, 32/18 कायम हुए तथा इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 32/12 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई, उक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल से विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की खातेदारी भूमि में कर दी है जब कि भौतिक रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी के खेत की पक्की तारबन्दी के अनुसार है तथा प्रार्थीगण के उक्त खसरान एक साथ जुड़ते हुए आये हुए है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 32/18 रकबा 0.3236 हैक्टेयर व खसरा संख्या 32/12 रकबा 0.5097 हैक्टयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 22.02.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी